1 3 AUG 2015

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 29.07.2015 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् गत बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति भी उपस्थित थे।

1. अभियान भूमि दखल–देहानी :–इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा 5 हल्कों को मिलाकर विशेष शिविर आयोजित करने का निदेश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि 5 जिलों द्वारा विशेष शिविर को upload ही नहीं किया गया है।प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी को भी शिविर की जिम्मेदारी दी जाय तथा बेदखली के बाद दखल–देहानी पर जोर दिया जाय। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि भू–हदबंदी की जमीन को इस अभियान के तहत कब्जा दिलाया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा 30 सितम्बर, 2015 तक अभियान भूमि दखल–देहानी को पूरा करने का निदेश दिया गया।

बैठक में प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को बतलाया गया कि किसी भी योजना के तहत पर्चा वाली जमीन को बेचने का अधिकार पर्चाधारी को नहीं होता है। यदि पर्चा वाली जमीन को किसी लाभुक द्वारा बेच दिया गया हो तो उसे रद्द करते हुए किसी अन्य योग्य लाभूक को पर्चा दिये जाने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। सभी अपर समाहर्त्ताओं को सूचित किया गया कि इस अभियान के लिए सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7/8 एवं सभी जिला)

2. अभियान बसेरा :–इस अभियान के तहत आवंटित राशि की समीक्षा की गई। आवंटन के विरूद्ध उपयोगिता/ व्यय प्रतिवेदन भेजने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। भूमि क्रय हेतु भोजपुर जिला से ` 2,24,85,400/- (दो करोड़ चौबीस लाख पच्चासी हजार चार सौ रूपये) की मांग की गई। इसके अतिरिक्त कटिहार एवं सुपौल से भी इस कार्य हेतु आवंटन की मांग की गई। प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक सर्वेक्षित सभी लाभुकों को प्रथम फेज के तहत बसाने हेतु निदेशित किया गया।साथ ही निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से रिपोर्ट को चेक करके उसे upload करायें।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

3. दाखिल–खारिज :– **प्रधान सचिव द्वारा दाखिल–खारिज हेतु** कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने को रद्द किया गया, कितने को समय–सीमा के अंदर किया गया, इत्यादि रिपोर्ट को online करने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी --9 एवं सभी जिला)

4. भू–हदबंदी :– भू–हदबंदी मामलों की गहन समीक्षा के दौरान समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडलाधिकारी के यहां लंबित वादों के संबंध में निदेशित किया गया कि इसे त्वरित गति से समय सीमा के अंदर निपटाया जाय। कुछ जिलों में लंबित वादों की स्थिति निम्न है:–

क्र0 सं0	जिला	अनुमंडल पदा0	समाहर्त्ता	अपर समाहर्त्ता
1	अररिया	–	11	–
2	औरंगाबाद	–	1	–
3	भोजपुर	–	1	–
4	बक्सर	–	1	–
5	दरभंगा	–	5	4
6	गया	–	6	13
7	कैमूर	8	9	–
8	कटिहार	2	2	16

ठस्त्क। के अंतर्गत शेखपुरा जिला ने वदसपदम करना शुरू ही नहीं किया है।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –9 एवं सभी जिला)

5. न्यायालय :–CWJC मामलों की गहन समीक्षा की गई।

MJC मामलों की गहन समीक्षा की गई।दरभंगा में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, पटना में 2, पूर्णिया में 1 एवं सहरसा में 1 लंबित मामले पाये गये।

LPA मामलों की गहन समीक्षा की गई। दरभंगा में 1, कटिहार में 1 एवं सुपौल में 1 लंबित मामले पाये गये।

SLP मामलों की गहन समीक्षा की गई। SLP के कुल 6 मामले लंबित पाये गये।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –11 एवं सभी जिला)

6. भूदान :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूदान के द्वारा पर्चा प्राप्त कुछ लाभूक के जमीन को, सरकार ने किसी दूसरे योजना के तहत पर्चा दे दिया गया हैं। इससे एक ही जमीन पर दो लाभूक दावा कर रहे हैं। इससे बेदखली का मामला उत्पन्न हो गया हैं। प्रधान सचिव द्वारा भूदान मंत्रियों को संबंधित अंचलाधिकारी से मिलकर अप्राप्त दानपत्र की फोटो कॉपी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं अंचलाधिकारी को contingency मद से फोटो कॉपी करा लेने का निदेश देने हेतु अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –7 एवं सभी जिला)

7. विधान मंडलीय कार्य :– बिहार विधान सभा /विधान परिषद् का सत्र अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो रहा है। बिहार विधान सभा /विधान परिषद् में आश्वासन समिति, निवेदन समिति एवं याचिका समिति के लंबित मामलों को त्वरित गति से निपटाने का निदेश दिया गया। मुख्य रूप से विधानसभा से संबंधित आश्वासन की समीक्षा की गई।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –10 एवं सभी जिला)

8. RTPS :-प्रधान सचिव द्वारा दाखिल–खारिज एवं एल0पी0सी0 से सम्बन्धित अभ्यावेदनों को समय–सीमा के अंदर निष्पादित किया है या नहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, साथ ही कितने आवेदन को किस कारण से रद्द किया गया है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही निदेशित किया गया कि इसे ससमय online किया जाय।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –9 एवं सभी जिला)

9. AC/DC Bill :-इसमें निदेशित किया गया कि इसे जल्द–से–जल्द नचकंजम किया जाय, नहीं तो उच्च स्तर पर समीक्षा के समय विभाग को दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –5 एवं सभी जिला)

10. जनशिकायत :- website में bpgrs.in पर जाकर कोड– 00013 में जितने शिकायत हैं उनकी online जबाव देना है, का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**–जनशिकायत कोषांग एवं सभी जिला)

11. कृषि गणना :– बैठक में आदान सर्वेक्षण 2011–12 के जिलावार कार्य प्रगति की चर्चा करते हुए यह बताया गया कि पटना, कैमूर, दरभंगा एवं मधुबनी जिलों से किसी भी चयनित गाँव की अनुसूची प्राप्त नहीं हुई है।

संबंधित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि आदान सर्वेक्षण की लम्बित अनुसूचियाँ अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि भरी हुई अनुसूचियों को डाटा इन्ट्री हेतु निर्धारित एजेंसी को भेजी जा सके।

(**कार्रवाई**–कृषि गणना एवं सभी जिला)

12. National Population Register (NPR) :– इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जल्द–से–जल्द देने का निदेश दिया गया।

(**कार्रवाई**– प्रशाखा–4 एवं सभी जिला)

13. लोक–लेखा :–लोक–लेखा की गहन समीक्षा की गई। पूर्णिया में कंडिका 5.2, भोजपुर में 5.2, पटना में 5.5, नालंदा में 5.1.4, दरभंगा में 3.4 एवं सीतामढ़ी में 5.8का मामला लंबित पाया गया, जो खासमहाल से संबंधित है। इसे निवारण शीघ्र करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(**कार्रवाई**–प्रशाखा पदाधिकारी –13 एवं सभी जिला)

14. निगरानी :–बैठक में जिला स्तर पर घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाने वालों के संबंध समीक्षा की गई।

(कार्रवाई–निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

15. भू–अभिलेख एवं परिमाप :–

(i) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक– 1792, दिनांक 24.11.2014 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना एन0एल0आर0एम0पी0 के अंतर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित चेकलिस्ट उपलब्ध कराने हेतु सभी समाहर्त्ताओं को 21 कंडिका का चेकलिस्ट प्रपत्रभेजा गया था। पुनःचेकलिस्ट प्रपत्र में कुछ सुधार करते हुए 25 कंडिका का चेकलिस्ट फारमेट निदेशालय के पत्रांक– 143, दिनांक 28.01.2015 द्वारा सभी समाहर्त्ताओं को भेजा गया था, परंतु अभी तक सभी जिलों से नये प्रपत्र में चेकलिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है। नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सिवान, कटिहार, गोपालगंज, औरंगाबाद, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, बक्सर, दरभंगा, मधेपुरा एवं बेगूसराय से नये प्रपत्र में चेकलिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ii) आधुनिक अभिलेखागार –सह– डाटा केन्द्र के निर्माण हेतु पत्रांक–1483, दिनांक 25. 09.2014 द्वारा पत्र भेजा गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों द्वारा ऑनलाईन रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। शेखपुरा एवं कटिहार द्वारा जनवरी, 2015के बाद अपडेट नहीं किया गया है। जहानाबाद, नवादा, वैशाली, पटना, मधेपुरा एवं समस्तीपुर के द्वारा भी ऑनलाईन रिपोर्ट नहीं भेजा गया है।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजना एन0एल0आर0एम0पी0 के अंतर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय के पत्रांक– 172, दिनांक– 02.02.2015 द्वारा निदेशित किया गया था। परंतु अभी तक सभी जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), नालंदा, पूर्णिया, नवादा, सुपौल एवं अररिया से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।

(iv) कम्प्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकार्ड के संबंध में पत्रांक– 973, दिनांक 28.05.2015 भेजा गया था तथा पत्रांक 1357, दिनांक 04.09.1998 द्वारा विभागीय पत्र भी भेजा गया था, जिसमें जिला कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट देनी है। जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता एवं राज्य स्तर पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप नोडल पदाधिकारी होते हैं। जिला कार्यान्वयन समिति की कार्यवाही की प्रति केवल समस्तीपुर जिला से प्राप्त हुई है। बाकी सभी जिलों से जिला कार्यान्वयन समिति की कार्यवाही की प्रति अभी तक अप्राप्त है।

अतः सभी अपर समाहर्त्ताओं से अनुरोध किया किया गया कि जिन जिला से अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त है अथवा नचसवंक नहीं किया गया है, कृपया शीघ्र प्रतिवेदन भेजें जिससे निदेशालय स्तर से सम्यक समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ जितने केस लंबित हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया।

(v) बक्सर, भोजपुर एवं कैमूर में पूर्व से लगाये गये प्लाटर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण बंद है उसे मुख्यालय भेजने का निदेश दिया गया, जिससे उसे ठीक कराके उपयुक्तता किया जा सके।

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं बक्सर, भोजपुर एवं कैमूर जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक – 10/सम0अ0स0 (बैठक) कार्यवाही– 43/2014 213 (p) **/रा0, पटना – 15, दिनांक** - 14-08-15

फैक्स/ई-मेल / **प्रतिलिपि** :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।